

हुक्म या कार्तवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

विनिता बनाम महेन्द्र

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

02.09.2020 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ
टी.एक्ट का चकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्ता
कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादि
खसरा न0 72/003, 730/007 वाके जोनेटा ताला
तह0 राजगढ से प्रार्थी के हिरसे अनुसार कब्जे काश्त
रुकावट व मजाहमत पैदा न करें, जरिये रहनवय आदि
द्वारा मुन्तकिल न करें तथा प्रार्थी के हिरसे तक मौका
रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। साथ में शपथ पत्र पेश
किया

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दरतावेज
पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 03.11.2020 तक पाबन्द
किया जाता है वो उक्त वर्णित आराजी की रिकार्ड की
यथास्थिति बनाए रखे। साथ में अप्रार्थीगणो को नोटिस
से तलब भी किया जावे कि उन्हें इस संबध में कोई
आक्षेप हो तो दिनांक 03.11.2020 को उपरिथत न्यायालय
होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

21/10/20
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)
दिनांक 21/10/20

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मत इनिशियल्स जज

नम्बर
अलवर
हुकम का
जारी

6/6/24 पत्रावली पेशा कुलवाप
उप वान्ति जवाब 1 से 3 तक
वलकी शेष उक्ति दि. 12/8/24
को पेश हो 882
500

12/8/24
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 12/10/24
को पेश हो।

18/10/24

रीडर

पत्रावली पेशा | कुलवाप उप
वाले जवाब | पत्रा 3 व
वलकी शेष दिनांक 04/12/24
को पेश हो।

पत्रावली पेशा कुलवाप उप वादी
जवाब | कुलवाप के शेष दिनांक
05/12/24 को पेश हो।

05/02/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 28/11/25
को पेश हो।

13/6/25

पत्रावली कुलवाप के साथ दि. 14/8/24
से अफजारी पेशी से तलब होकर पेशा
होई। कुलवाप का विरोध होने के कारण
आफा 212 की विरोध किया जाता है।
साथ ही हाजा कुलवाप के उपर आदेश
दि. 02/09/24 का इसी तरह पर स्वारीज कर
आफा विरोध कुलवाप के साथ किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम होकर कुलवाप के साथ

संलग्न होकर जमा लेख नम्बर है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर